फैसला: नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण में जमीन नीलामी पर रोक

लखनऊ, विशेष संवाददाता। योगी सरकार ने शनिवार को बड़ा निर्णय लेते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जमीन नीलामी व ई-आक्शन पर रोक लगा दी है। अब यहां निवेशकों को जमीन आवंटन का काम निवेश मित्र पोर्टल के जरिए ही होगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरमनी से पहले निवेशकों को आसानी से व सस्ते में जमीन उपलब्ध होगी। इससे निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी।

> निवेशक की पृष्ठभूमि व निवेशक की उपयोगिता के मद्देनजर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए भूखंड आवंटन किया जाएगा।
> –मनोज कुमार सिंह, आईडीसी

- आईडीसी ने तीनों प्राधिकरणों के सीईओ का पत्र लिखा
- भूखंड आवंटन की अप्रैल 2022 से पूर्व की व्यवस्था ही चलेगी

इस संबंध में औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया कि उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की नीलामी तथा ई- आक्शन की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। इन तीनों प्राधिकरणों के सीईओ को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे अथारिटी द्वारा अप्रैल 2022 से पूर्व की स्थिति के अनुसार निवेशक की पृष्ठभूमि व निवेशक की उपयोगिता के मद्देनजर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए भूखंड आवंटन किया जाएगा।

इसलिए हुआ निर्णय: असल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरमनी के लिए निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने काम में सभी औद्योगिक प्राधिकरण कर रहे हैं। असल में नीलामी या ई आक्शन से जमीन लेने पर निवेशकों को अपेक्षाकृत ज्यादा दाम चुकाने पड़ते हैं। कई जगह नीलामी के चलते सामान्य निवेशकों को जमीन मिलने में मुश्किल आने लगी। जबकि निवेश मित्र पोर्टल से आवेदन करने पर जमीन पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से तय मानक के आधार पर आवंटित की जाती है। हालांकि दिलचस्प यह कि तीनों प्राधिकरण तो नए निर्णय के दायरे में आ गए लेकिन यूपीसीडा अभी इससे बचा हुआ है।